**निरीक्षण दल द्वारा भारत में निरीक्षण : विष्णुगाड़ पीपलकोटि जल विद्युत परियोजना**
**प्रारंभिक निरीक्षण योजना (जनवरी 2014 में पुनः तैयार)**

**परिचय**

निरीक्षण दल एक स्वतंत्र फोरम है, जिसका काम है कि वह आई.बी.आर.डी. और आई.डी.ए. द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं से प्रभावित समुदायों के प्रति जवाबदारी और सहायता प्रदान कर सके, जिससे कि विश्व बैंक की नीतियों का पालन न किए जाने के कारण होने वाले नुक्सान की सुनवाई हो सके और विश्व बैंक कार्यक्रमों के विकास प्रभावों में सुधार लाया जा सके।

निरीक्षण दल को जुलाई 23, 2012 को, विष्णुगाड. पीपलकोटि जल विद्युत परियोजना संबंधित एक निरीक्षण के लिए आवेदन प्राप्त हुआ। आवेदन के प्रति प्रबंधन का जवाब अक्तूबर 24, 2012 को प्राप्त हुआ और निरीक्षण दल ने नवंबर 2012 में योग्यता निर्धारित करने के लिए परियोजना क्षेत्र में निरीक्षण भ्रमण किया।

योग्यता भ्रमण के बाद, निरीक्षण दल ने निर्देशक बोर्ड को दी गई संस्तुतियों में कहा कि आवेदन में उठाए गए बैंक की नीतियों के पालन संबंधी मुद्दों की जांच की जाए। बैंक ने निरीक्षण दल की संस्तुतियों को स्वीकृति देते हुए, मार्च 2013 से निरीक्षण करने का निर्णय दिया।

नीचे निरीक्षण योजना की व्यापक रूपरेखा दी जा रही है, जिसमें निरीक्षण के प्रमुख प्रश्न और मुद्दे, तथा निरीक्षण की समय सारणी दी गई है।

ध्यान दें, कि यह एक प्राथमिक निरीक्षण योजना है, जिसे निरीक्षण प्रक्रिया की शुरुआत में तैयार किया गया है, जिसे निरीक्षण दल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा रहा है। इस योजना में निरीक्षण के दौरान सामने आने वाली स्थितियों के अनुसार बदलाव किए जा सकते हैं।

**1. विश्व बैंक के बोर्ड द्वारा स्वीकृत की गईं निरीक्षण दल की संस्तुतियों की विषय वस्तु**

नीचे दिए गए वाक्य निरीक्षण दल की विष्णुगाड. पीपलकोटि जल विद्युत परियोजना के लिए बनाई गई रिपोर्ट और संस्तुतियों (योग्यता रिपोर्ट) का अंश हैं, जिसे निर्देशक बोर्ड ने दिसंबर, 18, 2012 को अनापत्ति के आधार पर स्वीकृति दी।

निरीक्षण दल की रिपोर्ट का अनुच्छेद 95 : *''निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण में जिन मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा, वे हैं : (क) आवेदन में स्थानीय स्तर पर होने वाले या संभावित नुक्सान से संबंधित उठाए गए मुद्दे, जिसमें प्रमुख रूप से भूमि अधिग्रहण, और परियोजना दस्तावेज़ों में दिए गए, बैंक की कार्यकारी नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुरूप, सुरक्षात्मक और संशोधनात्मक कदमों पर ध्यान दिया जाएगा, और (ख) बैंक प्रबंधन ने परियोजना तैयार करते समय संभावित नुक्सान के संबंध में सभी नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है या नहीं, क्योंकि उनका संबंध परियोजना प्रभाव क्षेत्र, संचयी मुद्दों और प्ररियोजना के बाहरी तत्वों के विश्लेषण से है।''*

रिपोर्ट का अनुच्छेद 96 : *''निरीक्षण दल द्वारा की जाने वाली जांच में, प्रबंधन द्वारा हरसारी तोक की समस्याओं के हल निकालने के लिए किए गए प्रयासों को ध्यान में रखा जाएगा।*

*निरीक्षण दल गंगा नदी से संबंधित राष्ट्रीय प्रक्रियाओं और उनके अलकनंदा नदी पर जल विद्युत विकास पर होने वाले प्रभावों पर भी ध्यान देगा।''*

## 2. निरीक्षण के लिए सामान्य प्रश्न

अपने प्रस्ताव के अनुरूप, निरीक्षण दल निरीक्षण के दौरान नीचे दिए गए प्रश्नों पर गौर करेगाः

- क्या आवेदन में उठाए गए परियोजना के कारण होने वाले नुक्सान संबंधी मुद्दे सच हैं, और क्या वे बैंक की नीतियों में शामिल हैं?
- यदि हां, तो क्या होने वाला नुकसान काफी गंभीर हो सकता है?
- यदि हां, तो प्रबंधन ने परियोजना तैयार करते समय, उसके मूल्यांकन और पर्यवेक्षण में इन मुद्दों को किस प्रकार संबोधित किया है?
- प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदम बैंक की संबंधित नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन करते हैं या नहीं?
- यदि निरीक्षण दल को अपनी जांच में पता चलता है कि बैंक की नीतियों का पालन नहीं किया गया है, तो बैंक द्वारा उठाए गए कदम या चूके गए कदमों का उस नुक्सान से क्या संबंध है जिनकी जांच की जा रही है? क्या जांच किये जाने वाले नुक्सान के पीछे बैंक की नीतियों का पालन न किया जाना, कुछ हद तक ज़िम्मेदार हो सकता है?

## 3. नुक्सान और नीतियों के पालन संबंधी मुद्दे

### *(क). परियोजना के प्रभावित क्षेत्र में होने वाले प्रभाव*

आवेदन में कई प्रकार के नुक्सान/प्रभावों के विषय में आरोप लगाए गए हैं, जिसमें शामिल हैः घरों में दरारें, पानी के स्रोतों का सूखना, फसल में नुक्सान, नदी के पानी के बहाव में कमी और सांस्कृतिक/धार्मिक स्थलों और रीति रिवाज़ों पर प्रभाव, क्षेत्र में असुरक्षा की स्थिति विशेषकर औरतों के लिए, ईंधन की लकड़ी की कमी, आजीविकाओं (मछुआरों के) पर प्रभाव, जैव विविधता पर प्रभाव, और स्थानीय उपयोग के लिए नदी से प्राप्त होने वाली रेत की उपलब्धता पर प्रभाव।

#### *1). नुक्सान का आकलन*

- क्या बैंक ने नीचे दी गई परियोजना संबंधी गतिविधियों के कारण पर्यावरण और समुदायों पर होने वाले प्रभावों का ठीक से आकलन किया और यह प्रभाव कितने गंभीर हो सकते हैं?
  - परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण
  - जलाशय
  - नदी पर बांध बनाने और पानी के बहाव को रोकने के प्रभाव
  - सुरंग निर्माण के लिए ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग
  - सड़क निर्माण

- धूल
- गाड़ियों का आना जाना
- मलबा फेंकना
- ट्रांस्मिशन लाइन निर्माण
- निर्माण के दौरान बाहर के मज़दूरों का आना
- अन्य

- क्या बैंक ने परियोजना गतिविधियों के कारण होने वाले सभी संबद्ध प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभावों का उचित आकलन किया है, जैसे कि, बाहर से मज़दूरों का आना और कर्मचारियों की कॉलोनी, यातायात में बढ़ोतरी, और नई ट्रांस्मिशन लाइनें?
- क्या *''प्रभाव क्षेत्र''* और *''प्रभाव के तत्काल क्षेत्र''* की परिभाषा ठीक प्रकार से की गई है? और क्या वह परियोजना प्रभावों के उचित आकलन और प्रबंधन के नज़रिए में मददगार है?

### *2). प्रभाव कम करने के प्रयासों का आकलन*

- क्या बैंक ने उचित प्रकार से निर्धारित किया है कि बैंक की नीतियों के अनुरूप तैयार किए गए प्रभाव कम करने के प्रयासों को ऊपर दिए गए प्रभावों को कम करने के लिए लागू किया जा रहा है या नहीं?
- क्या बैंक ने स्थापित किया है कि टी.एच.डी.सी. इन प्रभावों को कम करने के प्रयासों को लागू करने में सक्षम है या नहीं?

### *3). परामर्श और शिकायत निवारण प्रक्रियाओं का आकलन*

- परियोजना तैयार करते समय सार्वजनिक स्तर पर जानकारी उपलब्ध कराने और परामर्श के लिए बैंक की नीतियों के अनुसार मानदंडों के पालन किए जाने का बैंक ने ठीक से आकलन किया है या नहीं?
- परियोजना अधिकारियों द्वारा स्थापित शिकायत निवारण प्रक्रिया प्रभावी तरीके से प्रभावित लोगों के मुद्दों का निवारण करती है या नहीं, इसका आकलन बैंक द्वारा ठीक से किया गया है या नहीं?

## *(ख) संचयी प्रभाव*

आवेदन में आरोप लगाया गया है कि गंगा नदी घाटी के ऊपरी क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं की लड़ी लगाए जाने के कारण कई गंभीर संचयी प्रभाव होने की संभावना है, जिसमें इस परियोजन के प्रभाव भी जुड़ेंगे।

- क्या बैंक ने संचयी प्रभावों व उनसे जुड़े जोखिम, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, का उचित आकलन किया है, जो इस परियोजना के कारण बढ़ सकते हैं :

- नदी में बांध के निचले हिस्से में पानी की मात्रा और मौसमी बदलावों पर होने वाले संभावित प्रभाव और परियोजना के तत्काल (या परिभाषित) क्षेत्र के बाहर होने वाले संभावित प्रभाव व जैव विविधता और अलकनंदा नदी घाटी के प्राकृतिक आवास पर होने वाले संभावित प्रभाव, जिसमें सूक्ष्म जलवायु और वर्षा में बदलाव शामिल हैं
- परियोजना के तत्काल प्रभाव क्षेत्र से बाहर रहने वाले समुदायों पर संभावित सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव – अलकनंदा नदी घाटी और उससे बाहर के क्षेत्र में
- भूस्खलन में परियोजना का कोई योगदान
- भूचाल की स्थिति में अलकनंदा घाटी में स्थानीय समुदायों के लिए खतरे में परियोजना का कोई योगदान

- क्या बैंक ने उचित रूप से निर्धारित किया है कि बैंक की नीतियों के अनुरूप तैयार किए गए प्रभाव कम करने के प्रयासों को ऊपर दिए गए प्रभावों को कम करने के लिए लागू किया जा रहा है या नहीं?
  - विशेषकर, नदी में पर्यावरणीय बहाव बनाए रखने का वर्तमान प्रस्ताव संभावित संचयी प्रभावों को कम करने के लिए पर्याप्त है कि नहीं

**4. तथ्य निर्धारण के लिए विशिष्ट कदम / कार्यप्रणाली**

निरीक्षण दल, निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करने के लिए, सभी संबद्ध परियोजना दस्तावेज़ों का विश्लेषण करेगा, जिसमें *प्रौजैक्ट अप्राइज़ल डौक्यूमैन्ट (पी.ए.डी.),* पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ई.आई.ए.), पर्यावरण प्रबंधन योजना (ई.एम.पी.), सामाजिक प्रभाव आकलन (एस.आई.ए.) और *रीसैटलमैंट ऐक्शन प्लैन* (आर.ए.पी.) शामिल हैं। इनका विश्लेषण बैंक की संबंधित नीतियों, जैसे ओ.पी. / बी.पी. 4.01 *एन्वायरमैन्टी असैसमैन्ट*, ओ.पी. / बी.पी. 4.12 *इनवौलन्टरी रीसैटलमैन्ट*, ओ.पी. / बी.पी. 4.11 *फिज़िकल क्ल्चरल रिसोर्सेस*, ओ.पी. / बी.पी. 10.04 *इकनौमिक इवैल्युएशन ऑफ इन्वैस्टमैन्ट ऑपरेशन्स*, और ओ.एम.एस. 2.20 *प्रौजैक्ट अप्राइज़ल* के संदर्भ में किया जाएगा।

जैसा कि योग्यता रिपोर्ट और संस्तुतियों में दर्शाया गया है, निरीक्षण दल परियोजना से संबंधित बाहरी रिपोर्ट और प्रक्रियाओं पर भी ध्यान देगा, उदाहरण के लिए, अंतर – मंत्रालयी समूह (चतुर्वेदी कमीशन) रिपोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल) के फैसले, और भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा उत्तराखंड में जल विद्युत विकास में निजि कंपनियों की भागीदारी की समीक्षा जैसी राष्ट्रीय प्रक्रियाएं।

स्थलीय भ्रमण के दौरान, निरीक्षण दल परियोजना के विभिन्न पहलुओं की जांच करने और परियोजना के नवीनतम घटनाक्रम की जानकारी लेने के लिए कुछ चयनित विश्व बैंक स्टाफ और कन्सलटैन्ट्स से भी बात करेगा। निरीक्षण दल परियोजना क्षेत्र में भ्रमण के लिए जाएगा और परियोजना निर्माता कंपनी टी.एच.डी.सी. और संभावित प्रभावित लोगों के सामरिक

प्रतिनिधियों से मिलेगा। स्थलीय भ्रमण के बाद कुछ अतिरिक्त लोगों से बातचीत करने का भी निर्णय लिया जा सकता है।

## 5. निरीक्षण की तैथिकी

निरीक्षण दल ने अप्रैल – मई 2013 के बीच स्थलीय भ्रमण किया। निरीक्षण रिपोर्ट द्वारा मार्च 2014 में निर्देशक बोर्ड को जमा की जाएगी, जिसकी एक प्रति मार्च 2014 तक बैंक प्रबंधन को भी भेजी जाएगी। रिपोर्ट जमा करने की तिथि में बदलाव के कई कारण हैं, जिसमें शामिल है परियोजना क्षेत्र में जून 2014 में आई प्राकृतिक आपदा, जिसके कारण स्थानीय स्तर की जानकारी प्राप्त करने में देरी हुई और निरीक्षण दल में शामिल विशेषज्ञ भी वहां सहायता कार्यों में जुड़े रहे।

निरीक्षण दल की जांच रिपोर्ट और प्रबंधन रिपोर्ट तथा कार्य योजना बोर्ड द्वारा बैठक में निरीक्षण दल के परिणामों पर चर्चा और प्रबंधन की कार्य योजना पर गौर करने के बाद सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।